निगरानी ब्यूरो ,झारखण्ड को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) Anti Corruption Bureau) , झारखण्ड ,राँची के रूप में पुनर्गठित किये जाने तथा इसकी संरचना ,कार्य ,दायित्व एवं शक्तियों के निर्धारण हेतु संकल्प

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोक-कल्याणकारी राज्य के लिए भ्रष्टाचार एक गंभीर चुनौती है ,जिससे आम आदमी प्रभावित होता है । विभिन्न योजनाओं एवं लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें मिलती रही हैं ,लेकिन भ्रष्टाचार निरोधी मजबूत तन्त्र के अभाव में जांच एवं काण्डों का शीघ्र निष्पादन नहीं हो पाता है । अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु निगरानी ब्यूरो का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक निष्पक्ष ,सक्षम ,पेशेवर संगठन के रूप में कार्य कर सके ।

1. **नाम परिवर्तन** -भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सक्षम संस्था के साथ भ्रष्टाचार से पीड़ित आम नागरिकों का सहयोग आवश्यक है । अतः आम नागरिकों को यह स्पष्ट होना जरूरी है कि निगरानी ब्यूरो एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है । अतः निगरानी ब्यूरो को सुदृढ़ करते हुए इसका नाम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) Anti Corruption Bureau/ ACB (किया जाना प्रासंगिक होगा । अतः संकल्प निर्गत होने की तिथि से निगरानी ब्यूरो ,झारखण्ड ,राँची का नाम परिवर्तित कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau / ACB), झारखण्ड किया जाता है ।

2. **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुख्य कर्तव्य एवं शक्तियाँ**–

(i) राज्य सरकार के विभिन्न विभाग ,स्थानीय निकाय ,निगम तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त संस्थाओं में सभी श्रेणी के लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में गोपनीय एवं स्वतंत्र रूप से आसूचना संकलन करना ।

(ii) भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नागरिकों को भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार जनित अवैध सम्पत्ति के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सटीक सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(iii) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम -1988 के अन्तर्गत परिभाषित लोक-सेवकों के भ्रष्ट आचरण , प्रत्यानुपातिक धनार्जन ,भ्रष्टाचार की नीयत से लोक सेवकों द्वारा पद का दुरूपयोग ,एवं विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत परिभाषित भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जाँच करना ।

(iv) दोनो पक्षो की मिली-भगत से हो रहे भ्रष्टाचार) Collusive Corruption) के संबंध में तकनीकी सूत्रों से आसूचना संकलन करना । कार्यालयों ,चेक-नाकों जिनके संबंध में नियमित भ्रष्टाचार)Habitual Corruption) की सूचनाएं मिलती हैं वहॉ संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के साथ औचक छापामारी करना । संयुक्त छापामारी हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा नोडल पदाधिकारी घोषित किया जायेगा ।

(v) भा0द0वि0, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम -1988 एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित अन्य अधिनियमों एवं धाराओं से संबंधित आपराधिक काण्डों को दर्ज कर अनुसंधान एवं अभियोजन चलाना ।

)vi) जाँच एवं काण्डों में पाये गये दोषी लोक-सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु साक्ष्य एवं प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजना एवं फलाफल से संबंधित अभिलेखों को संधारित करना ।

(vii) विभाग के मुख्य निगरानी अधिकारियों) Chief Vigilance Officer) के सहयोग से भ्रष्टाचार में लिप्त लोकसेवकों ,ठेकेदारों ,आपूर्तिकर्त्ताओं ,कम्पनियों) Firms) एवं दलालों की सूची तैयार करवाना ,उनपर निगरानी एवं उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना । संदिग्ध चरित्र के लोक सेवकों की सूची तैयार करवाना ,सरकार के माँगने पर लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा प्रतिवेदन समर्पित करना ।

(viii) मुख्य निगरानी अधिकारी के सहयोग से विभागों में निगरानी कार्य एवं भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता फैलाना।

(ix) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ACB) की महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में सरकार को अवगत कराना ।

3. **संगठन** -आम नागरिक आये दिन भ्रष्टाचार का शिकार होता है ,लेकिन दूर-दराज क्षेत्रो से राँची स्थित निगरानी थाना आकर भ्रष्टाचार की शिकायत करना या सूचना देना खर्चीला एवं असुविधाजनक है । अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को राज्य ब्यापी एवं प्रभावी संगठन बनाना आवश्यक है । इसी क्रम में राँची स्थित ब्यूरो मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ACB) के छः क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जायेगी । जिनमें से प्रत्येक एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्य करेंगे । इन क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नवत होगाः-

क्र0सं0	ब्यूरो प्रमण्डलीय मुख्यालय	कार्यक्षेत्र में पडने वाले जिलों का नाम
1.	राँची	राँची, खूँटी, लोहरदगा,गुमला,सिमडेगा।
2.	पलामू (मेदिनी नगर)	पलामू, लातेहार, गढ़वा ।
3.	दुमका	दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताडा, पाकुड ।
4.	हजारीबाग	हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ ।
5.	चाईबासा	पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला- खरसॉवा।
6.	धनबाद	धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह ।

(i) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध एक-एक निगरानी थाना भी अधिसूचित किया जाएगा । इस थाना के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे ।

(ii) इन थानों का कार्यक्षेत्र प्रत्येक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमण्डल के अधीन आने वाले जिले होंगे, जिसका उल्लेख उपरोक्त तालिका में वर्णित है ।

(iii) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का सांगठनिक चार्ट (Organization Chart) अनुलग्नक के रूप में संलग्न है ।

4. विशेष कोषांग (Special Cell):- राँची स्थित ब्यूरो मुख्यालय में स्थित पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष कोषांग कार्य करेगा । इसका एक अलग थाना अधिसूचित किया जाएगा, जिसके प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे । इस थाने का क्षेत्राधिकार समस्त झारखण्ड राज्य होगा । इस कोषांग में प्राप्त होनेवाली सभी शिकायतों की स्क्रीनिंग कर संवेदनशील, महत्वपूर्ण तथा वरीय लोकसेवकों से संबंधित मामलों में कार्रवाई हेतु विशेष कोषांग में रखा जायेगा तथा अन्य मामलों को आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यालय को हस्तांतरित किया जा सकेगा । यह कोषांग इन गंभीर एवं संवेदनशील मामलों में गोपनीय ढंग से आसूचना संकलन कर आवश्यक कार्रवाई करेगा । महत्वपूर्ण संदिग्ध लोक-सेवकों के भ्रष्ट कार्यकलापों की निगरानी करेगा । महत्वपूर्ण वरीय लोक-सेवकों के विरूद्ध प्राप्त सूचनाओं का गोपनीय ढंग से सत्यापन करेगा । ब्यूरो के कर्मी एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का सत्यापन तथा उनपर आन्तरिक निगरानी

भी रखेगा। यह ब्यूरो के महानिदेशक/ अपर महानिदेशक द्वारा दिये गये अन्य गोपनीय कार्यो का निष्पादन करेगा । महत्वपूर्ण एवं वरीय लोक-सेवकों के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन (Disproportionate Assets) , एवं पद का आपराधिक दुरूपयोग के मामलों में सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर कांड दर्ज कर अनुसंधान करेगा । ट्रैप कांड में पूर्व की भांति अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. निगरानी आयुक्तः- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए आवश्यकतानुसार पदों के सृजन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त कार्रवाई की जायेगी ।

6. महानिदेशक/अपर महानिदेशक, भ्र0नि0ब्यू0 :- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख के रूप में महानिदेशक/अपर महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जायेगा ।

(i) ब्यूरो प्रमुख होने के अलावा पुलिस महानिदेशक/अपर महानिदेशक ब्यूरो के मामलें में उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगें जो पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस हस्तक तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

(ii) अनुसंधान जाँच, पर्यवेक्षण, नियंत्रण हेतु झारखंड पुलिस से पदाधिकारी एवं कर्मी ब्यूरो में पदस्थापित किये जायेंगे, जो पुलिस अधिनियम-1861, पुलिस हस्तक तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के द्वारा नियंत्रित होंगे ।

(iii) ब्यूरो द्वारा लोकसेवकों के विरूद्ध की जानेवाली कार्रवाई को गोपनीय एवं त्वरित ढंग से करने, अन्य विभागों, निगम, बोर्ड से पत्राचार करने, संचिकाओं को शीघ्र निष्पादित करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए महानिदेशक/अपर महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभागीय आदेशों एवं अधिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत करने हेतु सक्षम होंगे एवं आवश्यकतानुसार विहित प्रपत्रों का निर्धारण भी करेंगे ।

(iv) महानिदेशक/अपर महानिदेशक, ब्यूरो की कार्य दक्षता तथा कर्तव्यों के उचित निर्वहन को सुनिश्चित करेगें ।

(v) प्रशासनिक कार्यों में सत्यनिष्ठा बनाये रखने हेतु अन्य विभागों को सहयोग करेंगे तथा परामर्श देंगे । सभी सरकारी विभाग, कार्यालय, निगम, बोर्ड आदि ब्यूरो की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई से महानिदेशक/अपर महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो को अवगत करायेगें ।

(vi) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अन्तर्गत पुलिस निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पुलिस महानिदेशक/ब्यूरो प्रमुख करेंगे जबकि राजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन राज्य सरकार के स्तर से किया जायेगा ।

(क) पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षकः- ब्यूरो मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक पदस्थापित रहेंगे । ये ब्यूरों के मामलें में उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे जो पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस हस्तक तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक/ उप-महानिरीक्षक में निहित है ।

(i) महानिदेशक/अपर महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो द्वारा समय-समय पर दिये गये कार्यों एवं निर्देशों का निष्पादन करेंगे ।

(ii) पुलिस हस्तक एवं सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करेंगे । ब्यूरो मुख्यालय में स्थित विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्योलयों के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगं ।

(iii) ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों के बीच तालमेल एवं सहयोग बनाये रखेंगे ।

(ख) पुलिस अधीक्षकः- क्षेत्रीय भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय एवं क्षेत्राधिकार के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक होंगे । उक्त कार्यालय एवं शाखाओं में प्रतिनियुक्त तथा पदस्थापित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उनके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे । पुलिस अधीक्षक ब्यूरो के मामलें में उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे जो पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस हस्तक तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य पुलिस के पुलिस अधीक्षक में निहित है । **पुलिस अधीक्षक की मुख्य जवाबदेही एवं कर्त्तवय निम्नलिखित होंगेः**-

(i) क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को सौंपे गये जाँच एवं अनुसंधान कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निष्पादन सुनिश्चित करना ।

(ii) भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई हेतु सटीक आसूचना संकलन करना ।

(iii) अधीनस्थ पदाधिकारियों की कार्यक्षमता, सत्यनिष्ठा एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु कार्यो का पर्यवेक्षण कर समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश देना ।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण, करना ।

(v) क्षेत्रीय कार्यालयों में मितव्यता हेतु उचित लेखा संधारण ।

(vi) ब्यूरो मुख्यालय भेजने हेतु जाँच एवं काण्ड से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन, अंतिम जाँच प्रतिवेदन, पुलिस अधीक्षक प्रतिवेदन ससमय तैयार करना ।

(vii) लोक-सेवकों के विरूद्ध दर्ज जाँच एवं काण्डों को तीव्रता से निष्पादित कराना ।

(viii) अनुसंधान एवं न्यायालय में विचारण (Trial) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लोक अभियोजक से सतत् सम्पर्क रखना ।

(ix) क्षेत्रीय कार्यालय एवं पदाधिकारी विशेष के कार्यों के संबंध में समीक्षा प्रतिवेदान निर्धारित अवधि में समर्पित करना ।

(x) क्षेत्रीय कार्यालय के अधिन सभी कोर्ट कार्यालय एवं शाखओं का निरीक्षण करना ।

(ग) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG):-

(i) ब्यूरो मुख्यालय में पदस्थापित AIG अपने महानिदेशक/अपर महानिदेशक के निदेशानुसार एवं पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के सीधे नियंत्रण में कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

(ii) ब्यूरो मुख्यालय में स्थित सभी प्रशासनिक शाखाओं यथा स्थापना शाखा, लेखा शाखा, सामान्य शाखा, निर्गत शाखा, रक्षित शाखा, परिवहन शाखा, कल्याण शाखा, पुस्तकालय, प्रशिक्षण, वेबसाईट, निर्गत शाखा, विभागीय कार्यवाही, फोटो प्रशाखा के कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे ।

(iii) महानिदेशक/अपर महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो द्वारा निर्धारित सीमा या पुलिस अधीक्षक को प्रत्योजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार कार्य कर सकेगें ।

(घ) पुलिस निरीक्षकः-ब्यूरो के विभिन्न कार्योलयों में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक के दिशा-निर्देश में कार्य करेंगे ।

(i) पुलिस निरीक्षक को जाँच एवं अनुसंधान कार्य करने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में दी गयी है जिसे बहाल रखा जाता है ।

(ii) ब्यूरो में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे जो पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस हस्तक तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत समान्य पुलिस निरीक्षक में निहित है ।

(iii) ब्यूरो में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक पुलिस अधिनियम 1861 के अन्तर्गत एवं पुलिस हस्तक में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे ।

(ङ) पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षकः-

(i) ब्यूरो के विभिन्न,कार्यालयों में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देश में कार्य करेंगे ।

(ii) ब्यूरो में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे जो पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस हस्तक तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य पुलिस अवर निरीक्षक /सहायक अवर निरीक्षक में निहित है ।

(iii) ब्यूरो में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक पुलिस अधिनियम 1861 के अन्तर्गत एवं पुलिस हस्तक में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे ।

(च) आरक्षीः- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय तथा क्षेत्रिय कार्यालयों में पुलिस पदाधिकारियों के अलावा आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन भी किया जायेगा ।

(i) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में सूचना संकलन, ट्रैप, छापामारी, गृह तलाशी, सम्मन/वारंट एवं कुर्की का तामिला, पदाधिकारियों के साथ वाचर के रूप में कार्य करने, प्रदर्शो एवं अभिलेखों के गमनागमन एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों के रूप में कार्य करने हेतु आरक्षियों की विशेष आवश्यकता रहती है । इन कार्यों में से सबसे महत्वपूर्ण कार्य कम्प्यूटर ऑपरेटर का है । ऐसे परिस्थिति में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कम्प्यूटर की अच्छी जानकारी रखनें वाले आरक्षियों की ही प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन किया जायेगा ।

(ii) ब्यूरो में पदस्थापित आरक्षी उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे जो पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस हस्तक तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सामान्य आरक्षी में निहित है ।

(iii) ब्यूरो में पदस्थापित आरक्षी पुलिस अधिनियम 1861 के अन्तर्गत एवं पुलिस हस्तक में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे ।

7. पदाधिकारियों का चयन प्रक्रियाः- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्वीकृत सभी कोटि के पुलिस पद झारखण्ड पुलिस से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेगे । ये प्रतिनियुक्ति अधिकतम तीन वर्षो के लिए होगी । यह अवधि किसी भी परिस्थिति में विस्तारित नहीं की जायेगी ।

(i) आरक्षी तथा पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक श्रेणी के वैसे पुलिसकर्मी जिनकी कर्तव्यनिष्ठा एवं सत्यनिष्ठा अच्छी है, की प्रतिनियुक्ति ब्यूरो में करने हेतु आवश्यकतानुसार नामों का चयन ब्यूरो प्रमुख द्वारा किया जायेगा । चयनित नामों की सूची उनके द्वारा पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजी जायेगी । उनके द्वारा अनुशंसित कर्मियों तथा पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश बिना किसी विलंब के निर्गत किया जायेगा ।

(ii) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पुलिस निरीक्षक तथा आरक्षी उपाधीक्षक कोटि के योग्य पदाधिकारियों का प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन हेतु नामों की अनुशंसा निम्न समिति द्वारा की जायेगीः-

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग - अध्यक्ष

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग- सदस्य

पुलिस महानिदेशक (DGP) - सदस्य

पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो - सदस्य

इस समिति की अनुशंसा के आधार पर आरक्षी निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन संबंधी आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा । आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के संदर्भ में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के तत्पश्चात आदेश निर्गत किया जायेगा ।

(iii) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर से लेकर ब्यूरो प्रमुख तक के पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों के नामों की अनुशंसा निम्न समिति द्वारा की जायेगी ।

मुख्य सचिव - अध्यक्ष

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग - सदस्य

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग- सदस्य

पुलिस महानिदेशक (DGP) - सदस्य

पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो - सदस्य

समिति की अनुशंसा के उपरान्त राज्य सरकार के द्वारा यथासंभव योग्य पाये गये पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु विचार किया जायेगा . जिस बैठक में ब्यूरो प्रमुख के नाम का चयन होना होगा उस बैठक में इस पद पर कार्यरत पदाधिकारी भाग नहीं लेंगे ।

8. ब्यूरो मुख्यालय में कोषागों का गठन

भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय के परिभाषित कर्तव्यों के सुगमतापूर्वक निर्वाहन हेतु निम्न कोषांगो का गठन किया जायेगाः-

9. अभियोजन कोषांगः- ब्यूरो प्रमुख/महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण एवं मुख्य लोक अभियोजक के नेतृत्व में इस कोषांग का गठन किया जायेगा । मुख्य लोक अभियोजक का चयन झारखंड लोक अभियोजक संवर्ग से किया जायेगा । विधिक परामर्श हेतु ब्यूरो मुख्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा विशेष न्यायालय/ विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में सक्षम विधि परामर्शदाता/ लोक-अभियोजक आवश्यकता के अनुरूप प्रतिनियुक्त किये जायेंगे, जिनका दायित्व भ्रष्टाचार से संबंधित काण्डों के उचित अनुसंधान हेतु विधिक परामर्श, न्यायालय में विचारण तथा समय पर

अपील एवं प्रतिशपथ पत्र दायर करना सम्मिलित रहेगा । इनका चयन निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः-

(i) निगरानी आयुक्त -अध्यक्ष

(ii) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख - सदस्य

(iii) प्रधान विधि सचिव या उनके नामित प्रतिनिधि - सदस्य

(iv) महाधिवक्ता या उनके नामित प्रतिनिधि - सदस्य

अभियोजन कोषांग के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः-

(i) अनुसंधानकर्ता/जाँचकर्ताओं को जाँच एवं अनुसंधान के प्रत्येक स्तर पर विधिक परामर्श देना तथा साक्ष्यों प्राथमिकी, आरोप-पत्र, जाँच रिपोर्ट की विधिक्षा (Vetting) करना । प्रारंभिक जाँच की अंतिम रिपोर्ट की विधिक्षा के क्रम में स्पष्ट मंतब्य दिया जायेगा कि आपराधिक काण्ड दर्ज किया जाना चाहिए या मामला मात्र प्रशासनिक चूक का है । विधिक्षा के क्रम में मतभिन्नता की स्थिति में ब्यूरो द्वारा अंतिम निर्णय हेतु मामला निगरानी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो आवश्यकतानुसार महाधिवक्ता का मन्तब्य प्राप्त करेंगे ।

(ii) प्रत्येक काण्ड के अनुसंधान के उपरांत आरोप-पत्र या अंतिम-प्रपत्र समर्पित करने के पूर्व वैधानिक परामर्श लेना आवश्यक होगा तथा अंतिम आदेश पारित करने वाले पदाधिकारी द्वारा वैधानिक परामर्श को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित किया जायेगा ।

(iii) भ्रष्टाचार से संबंधित काण्डों के विचारण हेतु गठित विशेष न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता (Standing Counsel/ Additional Standing Counsel), विशेष लोक-अभियोजक, अपर लोक- अभियोजक, सहायक लोक-अभियोजक की नियुक्ति करना । उनके कार्यालयों का निरीक्षण करना तथा कार्यों की समीक्षा करना ।

(iv) प्रत्येक विशेष न्यायालय/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित रहेंगे ।

(v) अभियोजन कोषांग के प्रभारी, मुख्य लोक अभियोजक एवं उनके सहयोग हेतु अतिरिक्त, एवं सहायक लोक अभियोजक ब्यूरो मुख्यालय में पदस्थापित रहेंगे ।

(vi) विशेष न्यायालय/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहे काण्डों के विचारण पर निगरानी (Monitoring) रखना एवं अभियोजन में आ रही अड़चनों को दूर करना ।

(vii) आरोप पत्र समर्पित करने के उपरान्त विचारण के संबंध में संबंधित न्यायालयों के साथ समन्वय (Co-ordinate) स्थापित करना ।

(viii) न्यायालयों द्वारा पारित न्यायादेश की समीक्षा कर सरकार के आदेशानुसार अपील की कार्रवाई करना एवं उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र एवं S.L.P. दायर कराना ।

(ix) अनुसंधान एवं अभियोजन की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार लाने हेतु न्यायिक आदेश एवं न्यायिक निर्णयों का अध्ययन कर परिपत्रों का प्रारूप तैयार करना ।

(x) काण्ड/जाँच/ IR के आधार पर ब्यूरो की अनुशंसा के संबंध में आरोपित लोक-सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु अनुशंसा भेजना, फलाफल संबंधी अभिलेख संधारित करना ।

10. **तकनीकी कोषांग (Technical wing)** भ्रष्ट लोक-सेवकों के विरूद्ध आय से अधिक अर्जित सम्पत्ति काण्डो (Disproportionate Assets Cases), भवन, सडक, पुल तथा अन्य निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में दर्ज काण्डो, आसूचना के आधार पर सम्पत्ति के मूल्यांकन, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच हेतु तकनीकी कोषांग का गठन किया जायेगा जो ब्यूरो के अंग के रूप में कार्य कर सके । इस कोषांग के प्रभारी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता के स्तर के पदाधिकारी होंगे । पूर्व से कार्यरत तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी आयुक्त, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहेगा।

11. **सांख्यिकी एवं अंकेक्षण कोषांगः**- लोक सेवकों के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जन की शिकायतें प्राप्त होने पर अनुसंधान/जाँचकर्ता को आय-व्यय की सूचना एकत्रित कर ABCD प्रपत्र बनाना पडता है । प्रपत्र बनाते समय आय-व्यय के विभिन्न मदों के संबंध में विशेषज्ञ (CA, संगणक, अंकेक्षण) के परामर्श एवं प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है । ऐसे विशेषज्ञ (संबंधित विभाग से या मानदेय पर) आवश्यक जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उपलब्ध करायेंगे ।

12. **दस्तावेज परीक्षण कोषागं (Document Examination Cell):-** काण्डों के अनुसंधान के दौरान दस्तावेज परीक्षण विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है ताकि न्यायालय में दस्तावेज परीक्षण प्रतिवेदन साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके । भ्रष्ट लोक-सेवकों द्वारा जालसाजी, धोखाधडी कर सरकारी राशि का गबन किया जाता है, ऐसे काण्डों में विशेषज्ञ के प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है । उचित योग्यता प्राप्त पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में यह कोषांग ब्यूरो मुख्यालय में कार्य करेगा ।

13. **फोटो कोषांग (Photo cell):-** दस्तावेज परीक्षण कोषांग के अभिन्न अंग के रूप में फोटो कोषांग दस्तावेज का Scan अथवा निगेटिव (Negative) एवं पोजेटिव (Positive) तैयार करता है । अवैध

चल-अचल संपत्ति का फोटो लेना, पुल, भवन, सडक निर्माण कार्य में हुए गबन के काण्डों में निर्माण में पायी गई गडबडियों का फोटो लेना तथा न्यायालय में साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करना प्रमुख कार्य होगा । आवश्यक योग्यता प्राप्त अ0नि0/स0अ0नि0 स्तर के फोटोग्राफर इस शाखा के प्रभार में रहेंगे ।

14. **सामान्य शाखा /लेखा शाखा /स्थापना शाखा /निर्गत शाखा /रक्षित कार्यालय /वाहन शाखा /अभिलेख कक्षः-** ब्यूरो मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित सामान्य प्रशासन के लिए इन शाखाओं का नये कार्यबल के अनुरूप पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण किया जायेगा । ब्यूरो मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को भी बजट आवंटन होगा । अतः लेखा शाखा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी कार्य करेगी ।

15. **सूचना एवं तकनीकी कोषांग (IT Cell):-** ब्यूरो की कार्यक्षमता में सुधार तथा आंकडो एवं सूचनाओं के सदुपयोग हेतु अधिक से अधिक कम्प्यूटरीकरण (Computerization) करना आवश्यक है । निगरानी स्वच्छता, जाँच, IR, काण्ड, विचारण, सजा, विभागीय कार्यवाही से संबंधित सूचना, काण्ड दैनिकी लिखने, प्रगति प्रतिवेदन, वेवसाईट संधारण एवं तकनीकी सहायता हेतु प्रत्येक कार्यालय में Computer एवं Net की सुविधा आवश्यक है । अतः इन आवश्यकताओं के पूर्ती हेतु System Analyst (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के नेतृत्व में IT Cell कार्य करेगा ।

16. **प्रोत्साहन भत्ताः-** निगरानी ब्यूरो में पुलिस एवं अन्य विभागों से कार्यकुशल एवं कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों को आकर्षित करने हेतु अतिरिक्त भत्ता एवं सुविधा देकर ब्यूरो की कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सकता है। इस हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पदस्थापित एवं कार्यरत आरक्षी से पुलिस उपाधीक्षक तक के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिया जायेगा । जाँच एवं अनुसंधान में सहयोग एवं तकनीकी परामर्श देने हेतु अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी प्रोत्साहन भत्ता देय होगा ।

प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालय के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता को चयनित कर महानिदेशक/अपर महानिदेशक द्वारा नगद राशि से पुरस्कृत किया जायेगा । इसी प्रकार प्रति वर्ष ब्यूरो मुख्यालय के सर्वश्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता का चयन कर नगद राशि से पुरस्कृत किया जायेगा ।

17. **मुख्य निगरानी पदाधिकारी (Chief Vigilance Officer):-** झारखण्ड सरकार के सभी विभागों एवं बोर्ड/निगम में उप-सचिव या उसके उपर के स्तर के पदाधिकारी को निगरानी आयुक्त के अनुमोदन पर मुख्य निगरानी अधिकारी नामित किया जायेगा । वे अपने-अपने विभाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ समन्वय हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । ब्यूरो प्रमुख के

अनुरोध पर निगरानी आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्य निगरानी अधिकारियों की समय-समय पर समीक्षा बैठक की जायेगी । इन पदाधिकारियों के मुख्य कार्य निम्नवत् होंगे ।

(i) भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान कर, उनकी सूची एवं Doubtful Integrity List तैयार करना।

(ii) भ्रष्ट लोकसेवकों पर निगरानी रखकर भ्र0नि0 ब्यूरो को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना ।

(iii) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं संबंधित विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर कांड एवं जाँच में आवश्यक अभिलेख/अभियोजन स्वीकृत्यादेश उपलब्ध कराने में सहायता करना । मुख्य निगरानी पदाधिकारी के कर्तव्यों के संबंध में ब्यूरो प्रमुख के परामर्श पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश निर्गत किये जायेंगे ।

उपायुक्त जिला स्तर पर मुख्य निगरानी पदाधिकारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे ।

18. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आन्तरिक निगरानी की व्यवस्थाः-

(क) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पदस्थापित आरक्षी अधीक्षक एवं उससे उपर की श्रेणी के पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोपों की समीक्षा कर जाँच की अनुशंसा निम्न समिति द्वारा की जाएगीः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग - अध्यक्ष
2. महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक - सदस्य
3. निगरानी आयुक्त - सदस्य

(ख) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक एवं उससे नीचे की श्रेणी के पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोपों की समीक्षा कर जाँच की अनुशंसा निगरानी आयुक्त के स्तर से की जायेगी।

19. प्रशिक्षण (Training):- सेवानिवृति, स्थानान्तरण आदि के कारण उत्पन्न रिक्तियों के विरूद्ध ब्यूरो में प्रत्येक वर्ष जाँच एवं अनुसंधान पदाधिकारी पुलिस विभाग से योगदान देंगे । इन नये पदाधिकारियों तथा भ्र0नि0 ब्यूरो में पूर्व से कार्य कर रहे पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधी नये कानून, न्यायिक निर्णय, तकनीकी प्रक्रिया, जाँच एवं अनुसंधान की सामान्य खामियों को सुधारने के संबंध में समय-समय पर प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा । नये योगदान देने वाले पदाधिकारियों के ब्यूरो में योगदान देने के पश्चात ब्यूरो के वरीय पदाधिकारी तथा बाहरी विशेषज्ञों से निर्धारित बिन्दुओं पर इन्डक्शन/रिफ्रेसर कोर्स कराने हेतु उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था ब्यूरो द्वारा की जायेगी ।

20. आसूचना संकलनः- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के संबंध में विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचना एवं आवेदनों का सत्यापन गोपनीय ढंग से किया जायेगा । भ्र0नि0 ब्यूरो को भ्रष्टाचार के संबंध में आसूचना संकलन करने का अधिकार होगा । भ्रष्टाचार से पीडित आम आदमी से सूचना एवं सहयोग प्राप्त करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्रचार-प्रसार, जन- जागरण एवं संचार तकनीकी का उपयोग किया जायेगा ।

(i) भ्रष्टाचार से संबंधित आसूचना का गोपनीय सत्यापन करने के उपरान्त ब्यूरो के वरीय पदाधिकारियों को लोक-सेवकों की श्रेणी के अनुसार सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा । आसूचना संकलन एवं सत्यापन प्रक्रिया को गोपनीय रखने हेतु अभिलेख का संधारण संबंधित पदाधिकारी के गोपनीय प्रवाचक द्वारा किया जायेगा तथा आसूचना का गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन निम्नलिखित पदाधिकारियों को समर्पित किया जायेगाः-

(1) जन प्रतिनिधि एवं प्रथम श्रेणी लोक सेवक- **ब्यूरो प्रमुख** ।

(2) दितीय श्रेणी लोक सेवक- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, भ्र0नि0 ब्यूरो**।

(3) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी लोक सेवक- **पुलिस अधीक्षक, प्रमण्डल कार्यालय, भ्र0नि0 ब्यूरो**

(ii) भ्रष्टाचार निरोधी आसूचना प्रतिवेदन एवं परिवाद संबंधित पंजियों में दर्ज किये जायेंगे । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष पदाधिकारी द्वारा गोपनीय सत्यापन का निर्णय लिये जाने के बाद संबंधित भ्रष्टाचार निरोधी आसूचना प्रतिवेदन एवं परिवाद को आसूचना पंजी में दर्ज कर क्रमांक आवंटित किया जायेगा तथा अलग पदाधिकारी को गोपनीय सत्यापन की जवाबदेही दी जायेगी ।

(iii) किसी भी परिवाद/आसूचना प्रतिवेदन का सत्यापन करने हेतु पदाधिकारी को तबतक नहीं दिया जाएगा जबतक उसे आसूचना प्रतिवेदन (Intelligence Report) क्रमांक प्रदान नहीं किया जाता है ।

(iv) गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन तीन माह में समर्पित किया जायेगा । उसके उपरांत अवधि विस्तार ब्यूरो प्रमुख द्वारा ही दिया जा सकेगा ।

(v) सभी गोपनीय जाँच प्रतिवेदन निगरानी ब्यूरो प्रमुख द्वारा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को समर्पित किया जायेगा तथा समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर उनके संबंध में अग्रतर कार्रवाई हेतु निर्णय लिया जायेगा ।

21. प्रारंभिक जाँच (P.E) :- सरकार द्वारा भ्र0नि0 ब्यूरो को प्रारंभिक जाँच हेतु ऐसे मामलें हीं सौंपे जायेंगे जिनमें लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार या पद के आपराधिक दुरूपयोग के आरोप समाहित

हो । लोक सेवकों के विरूद्ध प्रारंभिक जाँच (P.E) हेतु अनुमति प्रदान करने का प्रावधान निम्नलिखित होगाः-

(1.) जन प्रतिनिधि- मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन ।

(2.) प्रथम श्रेणी के लोक सेवक-

(i) अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारीगण एवं राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष- **मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन ।**

(ii) अन्य प्रथम श्रेणी के लोक सेवक- **निगरानी आयुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन ।**

(3) दितीय श्रेणी एवं समकक्ष - **निगरानी आयुक्त का अनुमोदन ।**

(4) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख का अनुमोदन ।

(i) प्रत्यानुपातिक धनार्जन के संबंध में प्रारंभिक जाँच गोपनीय रूप से की जायेगी। अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया भी गोपनीय रहेगी । किसी भी स्तर से सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा । यदि गोपनीय आसूचना सत्यापन के उपरान्त प्रारंभिक जाँच दर्ज करना आवश्यक है तो ब्यूरो प्रमुख द्वारा उपरोक्त कंडिका में अंकित प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

(ii) प्रारंभिक जाँच से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग, निगम एवं बोर्ड के अध्यक्ष ब्यूरो को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे । पद का आपराधिक दुरूपयोग से संबंधित मामलों की निगरानी जाँच की अनुशंसा के साथ संबंधित विभाग द्वारा उक्त मामलें में की गई जाँच का प्रतिवेदन संलग्न किया जायेगा । जाँच एवं कांडो में विभागीय नियम, प्रक्रिया एवं निर्देशों की तकनीकी जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुरोध पर संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

(iii) जाँचकर्ता प्रत्येक संदिग्ध लोक-सेवक के विरूद्ध आरोप तथा उसके संबंध में उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख जाँच रिपोर्ट में करेंगे तथा स्पष्ट मन्तव्य देंगे ।

(iv) प्रत्यानुपातिक धनार्जन (Disproportionate Assetts) के मामलों में जाँच में सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों यथा चार्टड एकाउटेन्ट सहयोग को संविदा पर रखकर मंतव्य प्राप्त कर सकेंगे । जाँच में आवश्यकता पडने पर अन्य विशेषज्ञों के भी संविदा/प्रतिनियुक्ति पर लेकर मंतव्य प्राप्त कर सकेंगे।

(v) जाँच को कांड में परिवर्तित करने से पूर्व जाँचकर्ता आरोपित को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा मौका देंगे । आरोपित से प्रत्येक बिन्दु पर लिखित/मौखिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा ।

(vi) भ्र0नि0 ब्यूरो द्वारा पद के आपराधिक दुरूपयोग (Abuse) से संबंधित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन पर संबंधित विभाग को निश्चित समय सीमा (एक माह) के अन्दर मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा । अगर संबंधित विभाग से निर्धारित अवधि में मंतव्य प्राप्त नहीं होता है तो निगरानी आयुक्त के द्वारा संबंधित विभाग के सचिव के साथ समन्वय कर 15 दिन में प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया जायेगा । यदि इसके उपरान्त भी संबंधित विभाग द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है तब यह माना जायेगा कि उक्त मामले में विभाग को कुछ नहीं कहना है तथा ब्यूरो साक्ष्य के आधार पर आवश्यक कारवाई करेगा ।

(vii) यदि जाँचोपरांत जाँचकर्ता संबंधित मामले में काण्ड दर्ज करने की अनुशंसा करते हैं तो वह प्राथमिकी का प्रारूप भी विधिक्षा (vetting) हेतु संलग्न करेंगे ।

(viii) प्रारंभिक जाँच अधिकतम तीन माह में पूर्ण कर ली जायेगी । यदि इससे अधिक समय लगता है तो अवधि विस्तार की शक्ति ब्यूरो प्रमुख को होगी । ऐसी जाँच की समीक्षा विशेष रूप से कम अन्तराल में की जायेगी ।

22. आपराधिक काण्डः- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम- 1988 के अन्तर्गत दर्ज काण्डों के अतिरिक्त राज्य सरकार/ माननीय न्यायालय/ माननीय लोकायुक्त द्वारा सौंपे गये मामलों में पी0ई0/ काण्ड दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा । किसी भी स्तर के लोक सेवक के विरूद्ध फंदा (Trap) कांड दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पूरी तरह स्वतंत्र होगा ।

(i) प्रत्यानुपातिक धनार्जन (Disproportionate Assetts) एवं पद का आपराधिक दुरूपयोग (Abuse of Official Position) के मामलों में अनुमति लेकर कांड दर्ज किया जायेगा । अनुमति देने का प्राधिकार निम्न प्रकार होगाः-

(1) जन प्रतिनिधि- मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन ।

(2) प्रथम श्रेणी के लोक सेवक-

(i) अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारीगण एवं राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष-

मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन ।

(ii) अन्य प्रथम श्रेणी के लोक सेवक - निगरानी आयुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव का अनुमोदन ।

(3) दितीय श्रेणी एवं समकक्ष - निगरानी आयुक्त का अनुमोदन ।

(4) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी - भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख का अनुमोदन

(ii) प्रत्येक काण्ड का अनुसंधान निर्धारित (एक वर्ष) अवधि में पूर्ण करना होगा तथा प्रत्येक माह पुलिस अधीक्षक निर्धारित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन निर्गत करेंगे । यदि निर्धारित अवधि में अनुसंधान पूर्ण नहीं होता है तो ब्यूरो प्रमुख ही अवधि विस्तार की अनुमति देंगे तथा अनुसंधान प्रगति की समीक्षा सघन होगी ।

(iii) आपराधिक काण्डों का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा । कांड दैनिकी एवं गवाहों के बयान के आधार पर प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निर्गत करेंगे तथा अनुसंधानकर्ता को पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने तथा समय सीमा के अन्दर अनुसंधान पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे ।

(iv) नियमानुसार फन्दा (Trap) लगाने के वक्त वादी लोक सेवकों द्वारा मांगी गयी घूस की राशि उपलब्ध कराते हैं । यह राशि फन्दा लगने के समय ब्यूरो द्वारा प्रदर्श के रूप में जप्त कर मालखाना में रखा जाता है । कांड के विचारण के पश्चात ही यह राशि मुक्त हो पाती है । ऐसा पाया गया है कि राशि स्वयं उपलब्ध कराने एवं देर से विमुक्त होने के कारण कई परिवादी लोक सेवकों के विरूद्ध फन्दा की कार्रवाई कराने से बचते हैं । अतः माननीय न्यायालय में वादी द्वारा अभियोजन के पक्ष में बयान देने एवं विहित प्रगत्र में उद्घोषणा के पश्चात न्यायालय के आदेश से यह राशि वादी को लौटायी जा सकेगी तथा इसके लिये राज्य सरकार इस मद में निश्चित राशि का आवंटन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को करेगी ।

(v) फन्दा (Trap) कांडो को करने हेतु आसूचना एवं वादी (Decoy) की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में फन्दा (Trap) कांडो की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है अतः फन्दा (Trap) कांडो में जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिये ब्यूरो द्वारा आवश्यक कदम यथाः हेल्प लाईन, कन्ट्रोल रूम का गठन, समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/रेडियो/ सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जायेगा । जनता की शिकायत को शीघ्र प्राप्त करने हेतु ई-मेल/ एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना प्राप्त की जायेगी ।

(vi) प्रारम्भिक जाँच के फलाफल, घर की तलाशी, आपराधिक काण्ड दर्ज करने, अंतिम प्रपत्र समर्पित करने, विचारण पूर्ण होने तथा गिरफ्तार करने के उपरान्त लोक-सेवक के विभाग को निर्धारित

प्रपत्र में सूचना दी जायेगी । संबंधित विभाग ब्यूरो की सूचना के आधार पर कृत कारवाई से ब्यूरो को अवगत करायेंगे ।

(vii) पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अभियोजन निरीक्षक विचारण के दौरान गवाह एवं प्रदर्श को न्यायालय में उपस्थापित कराना सुनिश्चित करेंगे, सम्मन कुर्की जप्ती, वारंट का तामिला, न्यायालय से समन्वय स्थापित कर अभियोजन के दृष्टकोण से अपेक्षित कार्यवाही करेंगे ।

(viii) सेवा निवृत ब्यूरो अधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मचारी जो काण्डों एवं विभागीय जाँच में गवाही हेतु उपस्थित होते हैं, को नियमानुसार भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ix) जाँच एवं अनुसंधान में तेजी लाने एवं विभाग में अनुशासन बनाये रखने हेतु ब्यूरो निदेशक निर्धारित समय पर समीक्षा बैठक करेंगे ।

(x) विशेष न्यायालय अधिनियम/अध्यादेश के आलोक में भ्रष्ट लोक सेवकों की अवैध संपति (प्रत्यानुपातिक धनार्जन) को राजसात (अधिहृत) करने हेतु आवश्यक पहल ब्यूरो द्वारा की जायेगी ।

23. एतद् विषयक निर्गत पूर्व के सभी आदेश/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेगें ।

24. इस संकल्प के निर्गत होने के पश्चात किसी भी तरह की शंका या समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा आदेश/परिपत्र निर्गत कर किया जायेगा ।

25. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की संलेख ज्ञापांक- 1552 दिनांक 04.08.2015 के क्रम में दिनांक 04.08.2015 की बैठक में मद संख्या- 16 में दी गयी है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डल एवं सभी जिलो को प्रेषित किया जाय ।